गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). निर्देशित प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तक एकत्र की गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]

(ग) गैर-भारतीयों की नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जाती है और वह भी केवल कम से कम आवश्यक नियत अवधि के लिये । इन पदों पर अधिक से अधिक संभव संख्या में भारतीयों को लगाने के लिये प्रशासनिक मंत्रालय साथ साथ ही भारतीयों को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही करते हैं ।

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

१५५०. श्री राजवी वर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) वर्ष १९५६–५७ की रिपोर्ट में इतनी अशुद्धियां होने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) गृह-मंत्रालय की हिन्दी की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी की रिपोर्ट का अनुवाद है । यह काम इस मंत्रालय के हिन्दी ऐसिस्टेंटों द्वारा किया जाता है और अनुवाद के बाद रिपोर्ट छपने के लिये कंट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी को भेज दी जाती है ।

(ख) रिपोर्ट में टाइप की कुछ अशुद्धियां प्रेस की दोषपूर्ण छपाई के कारण ही हैं ।

अंडमान में बस्तियां बसाना

१५५१. श्री राजवी वर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अण्डमान और निकोबार में कृषि योजना बनाई हुई १७५० एकड़ भूमि पर ३५० परिवारों को बसाने के कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ये परिवार वहां किन-किन स्थानों से भेजे जा रहे हैं; और

(ग) उन में विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९५६ में अण्डमान द्वीप समूह में २५२३ एकड़ भूमि साफ की गई और वहां ३९९ परिवार बसाये गये ।

१९५७ में १५४० एकड़ जंगली भूमि साफ की गई और अब तक २३३ परिवार बसाये गये हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल, केरल मद्रास और माही ।

(ग) १९५६ में ३५७ परिवार (१३५७ व्यक्ति) ।

१९५७ में २७१ परिवार (८९९ व्यक्ति) ।

स्टैंडर्ड वेट्स ऐंड मेजर्स ब्यूरो आफ इंडिया

१५५२. श्री भूक्त सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इंटरनेशनल ब्यूरो आफ स्टैण्डर्ड वैट्स एंड मेजर्स सेवरेज (फ्रांस) का सदस्य बन गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत को इसके लिये कितना सदस्यता-शुल्क देना पड़ेगा; और

(ग) सदस्यता-शुल्क के अतिरिक्त भारत को और क्या-क्या खर्च करना पड़ेगा ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) ४५,००० गोल्ड फ्रैंक्स (लगभग ७०,३१३ रुपये के बराबर)

(ग) जनवरी, १९५७ में ब्यूरो में शामिल होने के लिये ६७,५०० गोल्ड फ्रैंक्स (लगभग १,५२,३४४ रुपये के बराबर) प्रवेश शुल्क दिया गया ।

केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड

१५५३. श्री चांदक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड ने अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) उनके कल्याण के लिये बोर्ड ने कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं अथवा स्वीकार की हैं;

(ग) इस प्रकार की योजनायें कहां तक क्रियान्वित की गई हैं; और

(घ) अब तक बोर्ड की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती खाल्वा) : (क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड की २८-११-१९५६ और १२-१०-१९५७ की बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां प्रश्न संख्या ३४८ और ३४५ के उत्तर में क्रमशः २४-५-१९५७ और १८-१२-१९५७ को सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

(ख) तथा (ग). बोर्ड द्वारा बनाई या स्वीकृत की गई योजनायें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]

Educational Grants to Jammu and Kashmir

1554. Shri Yajnik: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state the total amount given to Jammu and Kashmir State from the 1st January, 1947 to the 31st March, 1957 under the following heads:—

(i) Scientific Research and higher education training; and

(ii) University?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrimali): (i) Nil.

(ii) *Rs. 1,40,520.

Assistance to Jammu and Kashmir

1555. Shri Yajnik: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the total amount sanctioned to Jammu and Kashmir State and that actually spent during the period from 1st November, 1947 to 31st March, 1957, yearly under the following heads:—

(i) Centre Reserve Police;

(ii) Peace Brigades; and

(iii) Home guards?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): The Government of India have made no grants to the Jammu and Kashmir Government in respect of expenditure on the Central Reserve Police, or Peace Brigades. The following amounts were spent on account of Jammu and Kashmir Home Guards in the years mentioned below:—

1951-52	Rs. 10·60 lakhs.
1952-53	Rs. 14·02 lakhs.

No expenditure on Jammu and Kashmir Home Guards has been incurred after 1952-53.

Financial Assistance to Jammu and Kashmir

1556. Shri Yajnik: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the total amount given to the Jammu and Kashmir Government during November, 1947 to the 31st March,

*This includes grants given to the State Government and the University of Jammu and Kashmir.